



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228175
CG-DL-E-08072021-228175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531]
No. 2531]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2735(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 06, अप्रैल, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1452 (अ) तारीख 01, अप्रैल, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, टाइम्स ऑफ इण्डिया और दैनिक जागरण में तारीख 29 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं०	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/प्लॉट सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे०में)	भू. स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खागा	छीमी	1349	निजी	कृषि	0.0521	रामगोविन्द पुत्र जगतपाल, कृष्णलाल पुत्र जगतपाल, रामलाल पुत्र जगतपाल, प्रेमचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायन, देवनारायन, पुत्र रामदुलारे, रामनारायन पुत्र रामदुलारे।
			1350	निजी	कृषि	0.0200	जमुना प्रसाद पुत्र चन्द्रपाल, मनोज कुमार पुत्र चन्द्रपाल, राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल, रामकृपाल पुत्र ननकू।
			2031	निजी	कृषि	0.0770	रामकृपाल पुत्र ननकू।
		कुकुरा	192 मिन्ज	निजी	कृषि	0.0120	रणजीत सिंह पुत्र शिवभूषण, श्री केशन पुत्र मंगली।
			194	निजी	कृषि	0.0248	धनराज सिंह पुत्र धरमपाल, सुमेर सिंह पुत्र धरमपाल, श्रीमती कलावती पत्नी स्व० धरमपाल।
			280 मिन्ज	निजी	कृषि	0.0368	जगजीत पुत्र चन्द्रपाल, रामराज पुत्र चन्द्रपाल, लखन लाल पुत्र चन्द्रपाल।
			173	निजी	कृषि	0.0084	कु० निरोज देवी पुत्री स्व० शम्भू।
			172	निजी	कृषि	0.0238	कु० निरोज देवी पुत्री स्व० शम्भू।
		टेनी	1300	निजी	कृषि	0.0264	मिश्रीलाल पुत्र बाउर, मुकुट बिहारी पुत्र मंगली।
			1301	निजी	कृषि	0.0084	रामस्वरूप पुत्र रामप्यारे।
			244	निजी	कृषि	0.0216	काल बहादुर पुत्र गयादीन।
			245	निजी	कृषि	0.0120	अमरनाथ दत्तक पुत्र धनुवा,

							ज्ञान सिंह पुत्र सम्पत सिंह, धरमराज सिंह पुत्र सम्पत सिंह, हरिशचन्द्र सिंह पुत्र सम्पत सिंह, रवेन्द्र नाबा. उम्र 15 वर्ष पुत्र रामराज सिंह सं. सोनापति देवी, दयाल नाबा. उम्र 6 वर्ष पुत्र रामराज सिंह सं. सोनापति देवी, कु. नेहा नाबा. उम्र 11 वर्ष पुत्री रामराज सिंह सं. सोनापति देवी माँ, श्रीमती सोनापति देवी पत्नी स्व० रामराज सिंह।
--	--	--	--	--	--	--	--

[फा0सं0 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2164]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टेटे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2735(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1452 (E), dated the 1st April, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehpur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Times of India and Dainik Jagran, dated the 29th April, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehpur in the State of Uttar Pradesh.

S. No.	TALUK	VILLAGE	PLOT/ SURVEY NO.	TYPE OF LAND	NATURE OF LAND	AREA (Ha)	NAME OF LAND HOLDER/INTRESTED PERSON
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KHAGA	CHHIMI	1349	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0521	RAMGOVIND S/O JAGATPAL KRISHNALAL S/O JAGATPAL RAMLAL S/O JAGATPAL PREMCHANDRA S/O LAXMINARAYAN DEVNARAYAN S/O RAMDULARE RAMNARAYAN S/O

							RAMDULARE.
			1350	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0200	JAMUNA PRASAD S/O CHANDRAPAL MANOJ KUMAR S/O CHANDRAPAL RAJKUMAR S/O CHANDRAPAL RAMKRIPAL S/O NANKU.
			2031	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0770	RAMKRIPAL S/O NANKU.
		KUKURA	192 MINZ	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0120	RANJEET SINGH S/O SHIVBHUSHAN SHRI KESHAN S/O MANGLI.
			194	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0248	DHANRAJ SINGH S/O DHARAMPAL SUMER SINGH S/O DHARAMPAL SMT. KALAVATI W/O LT. DHARAMPAL.
			280 MINZ	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0368	JAGJEET S/O CHANDRAPAL RAM RAJ S/O CHANDRAPAL LAKHAN LAL S/O CHANDRAPAL.
			173	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0084	KM. NIROJ DEVI D/O LT. SHAMBHU.
			172	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0238	KM. NIROJ DEVI D/O LT. SHAMBHU.
			1300	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0264	MISHRILAL S/O BAUR MUKUT BIHARI S/O MANGLI.
			1301	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0084	RAMSWARUP S/O RAMPYARE.
			244	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0216	KAL BAHADUR S/O GAYADEEN.
		TENI	245	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0120	AMARNATH Adopt S/O DHANUVA GYAN SINGH S/O SAMPAT SINGH DHARAMRAJ SINGH S/O SAMPAT SINGH HARISHCHANDRA SINGH S/O SAMPAT SINGH RAVENDRA Minor Age-15 Yrs S/O RAMRAJ SINGH Guardian SONAPATI DEVI DAYAL Minor Age-6 Yrs S/O RAMRAJ SINGH Guardian SONAPATI DEVI KM. NEHA Minor Age-11 Yrs D/O RAMRAJ SINGH Guardian SONAPATI DEVI SMT. SONAPATI DEVI W/O LT. RAMRAJ SINGH.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2164]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)